

सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत
ग्राम - घुमरापदर

की समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति की आंकलन रिपोर्ट

—00—

कार्यालय कलेक्टर ,जिला-गरियाबंद ,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवभोग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 38/कल./भू अर्जन/2019/गरियाबंद/दिनांक 04/11/2019 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 को ग्राम-घुमरापदर में आयोजित की गई। इसमें भू-अर्जन अधिकारी द्वारा नामांकित सभी सदस्य उपस्थित थे। विशेषज्ञ समिति ने सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विभिन्न बिन्दुओं का बिन्दुवार आंकलन किया साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किये गये विभिन्न राजस्व अभिलेखों का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न आंकड़ों अभिलेखों एवं अन्य तथ्यों द्वारा विश्लेषण किया तदानुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम - घुमरापदर ग्राम पंचायत :-घुमरापदर

प्रस्तुत अधिग्रहण छ.ग. शासन के जल संसाधन संभाग गरियाबंद हेतु किया जाना है यह उलट नहर घुमरापदर जलाशय परियोजना के तहत प्रस्तावित है इस पर ग्राम घुमरापदर की भूमि अधिग्रहीत किया जाना है स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट का स्वरूप रेखीय है। ऐसे अधिग्रहणों में भूमि लंबाई में अधिग्रहीत होती है। जिसमें भूमि का क्षेत्रफल काफी कम रहता है किन्तु भूमि एक से एक लगी होने के कारण प्रभावितों की संख्या अधिक हो सकती है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में कुल 02 खातों की भूमि आ रही है कुल खेतदारों की संख्या 02 है। इसमें सभी कुछ अनुसूचित जनजाति के हैं। इन सभी खातेदारों का खातों का विवरण जिसमें उनके द्वारा कुल धारित भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण का रकबा और शेष बच रही भूमि का विवरण पृथक से संलग्न है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिग्रहण होने के बाद भी प्रभावित व्यक्ति के पास भूमि शेष रह पायेगी और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का उसे नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण से भू-स्वामियों के खातों में नगण्य कमी आयेगी और क्षति भी बहुत कम होगी।

01 ग्राम की कुल जनसंख्या 1444 है जिसमें केवल 0.01 प्रतिशत हो रहे हैं, अर्थात् इस अधिग्रहण से बहुत व्यापक सामाजिक/ आर्थिक दुष्परिणाम नहीं होता है। इस नहर के बन जाने से आस-पास के बहुत सारे गांव को सिंचाई की सुविधा मिलेगी ,स्पष्ट है कि जन सामान्य के हितों का संवर्धन होगा प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी का भी विस्थापन नहीं होगा। प्रभावितों ने अपनी सहमति लिखित में दी हैं।

02 संभावित परियोजना में विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक कोई भी अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।


भू-अर्जन अधिकारी
देवभोग.

तकनीकी विशेषज्ञ ने नक्शों को देखते हुये इस बात की पुष्टि की कि अधिग्रहण न्यूनतम क्षेत्रफल से तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुये किया जा रहा है।

03 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की कि संबंधित विभाग के पास पूर्व में कोई भी अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण लोक हित में है उद्देश्य लोक प्रयोजन है न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है इस अधिग्रहण से सिंचाई कार्य व्यवस्थित होगा और इसके सामान्य लाभ होने वाली क्षति की तुलना में बहुत अधिक है। विभाग के पास पूर्व में अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नहीं है फलतः भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक -1. श्री ओम प्रकाश बंजारे.....)

2. श्री योगेन्द्र यादव

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि - 1. श्री बालम सिंह नागेश जनपद सदस्य (.....)

2. श्री भुजबल मांझी उपसंरपंच

पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ -1. श्री दिनेश साहु

2. श्री हेमराज मांझी

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ-


अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवभोग

Sub-division Officer
R.E.S. Sub Division
Deobhog


श्री-मजुन अधिकारी.
देवभोग


तकनीकी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घुमरापदर जलाशय परियोजना में निर्मित नहर ग्राम घुमरापदर प. ह.न 16 तहसील मैनपुर की प्रस्तावित भूमि आवश्यकतानुसार न्यूनतम है एवं प्रस्तावित स्थल के अलावा अन्य उपयुक्त स्थान नहीं है।


गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक -1. श्री ओम प्रकाश बंजारे..(..........)

2.श्री योगेन्द्र यादव


(..........)

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि 1.श्री बालम सिंह नागेश जनपद सदस्य (..........)


2.श्री भुजबल मांझी उपसंरपंच

(..........)


पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ -1. श्री दिनेश साहु


(..........)

2.श्री हेमराज मांझी

(..........)

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ-

अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवभोग
(..........)
Sub Divisional Officer
R.E.S. Sub Division
Deobhog


सु-अखन अधिकारी.
देवभोग